<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 47/2024 FSSA</u>

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री भगवान सहाय गुप्ता
   विक्रेता मैसर्सः—श्री हरी ट्रेडिंग कम्पनी, लक्ष्मी निवास मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा।
2. मैसर्सः—श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मॉ गंगा सेवा सदन, मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा।
3. मैसर्सः—अमृतराज जुगल किशोर एण्ड कम्पनी, 704 देवी नगर शिव सर्किल, न्यू सांगानेर रोड जयपुर।
4. **Sriveda Sattva Pvt. Ltd., B2B SST Warehouse No. 417 Situated in uttari Road Kaggalipura Post Kanakpura Road Banglore South Bengalura Urban Karnataka.**

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री विनीत कुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 4 उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 07.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोहित कुमार शर्मा कार्यालय केन्द्रीय दल आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण जयपुर द्वारा दिनांक 22.04.2023 को प्रातः 11:30 बजे मैसर्सः—:— श्री हरी ट्रेडिंग कम्पनी, लक्ष्मी निवास मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैनेजर श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता उपस्थित मिला। जिसने स्वयं को उक्त फर्म का मैनेजर होना बताया। जिसके अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर 150 लोहे के टीन में (150 **X** 150 किलोग्राम में 2249 किलोग्राम) देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जांच हेतु 15 किलोग्राम पैकिंग लोहे के टीन में से 1 किलोग्राम देशी घी ब्राण्ड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** खरीदा। जिसकी कीमत 550 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** में से 250 **X** 250 ग्राम प्रति के चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओं दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG-3337** गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत [illegible] से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं 6 का सील बन्द लिफाफा श्री सलीम मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.04.2023 को केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील पैकिट व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.04.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.04.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1544 / एक्ट / 2023 / 1558 दिनांक 03.05.2023 रैफरल फूड लैबोरेटरी पुणे की जांच रिपोर्ट संख्या **RFL/P/DO/373/23/449/2023** दिनांक 09.082023 के अनुसार अमानक **(Substandard)** स्तर का होना पाया गया। जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विनीत कुमार जैन उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्तागण अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1544 / एक्ट / 2023 / 1558 दिनांक 03.05.2023 एवं रैफरल फूड लैबोरेटरी पुणे की जांच रिपोर्ट संख्या **RFL/P/DO/373/23/449/2023** दिनांक 09.082023 के अनुसार खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में **Foreign Fat Present** होने के कारण एवं **Saponification Value** तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** का आम जन को विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या लगायत 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर अमानक **(Substandard)** स्तर का खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया गया है। यह अप्रार्थीगण का प्रथम जुर्म है। अप्रार्थीगण अपना जुर्म स्वीकार करते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम बार हुई गलती को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण किये जाने का श्रम करे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1544 / एक्ट / 2023 / 1558 दिनांक 03.05.2023 एवं रैफरल फूड लैबोरेटरी पुणे की जांच रिपोर्ट संख्या **RFL/P/DO/373/23/449/2023** दिनांक 09.082023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** के नमूने में **Foreign Fat Present** होने के कारण एवं **Saponification Value** तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram[illegible]
Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ देशी घी ब्रांड सिरी सिरी तत्व **(Deshi Ghee Brand Sri Sri Tattva)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 पर 22000/— (अक्षरे बाईस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 07.04.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA**/ 2025 / दिनांकः— .04.2025

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री भगवान सहाय गुप्ता विक्रेता मैसर्सः—श्री हरी ट्रेडिंग कम्पनी, लक्ष्मी निवास मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा।
4. मैसर्सः—श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मॉ गंगा सेवा सदन, मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा।
5. मैसर्सः—अमृतराज जुगल किशोर एण्ड कम्पनी, 704 देवी नगर शिव सर्किल, न्यू सांगानेर रोड जयपुर।
6. **Sriveda Sattva Pvt. Ltd., B2B SST Warehouse No. 417 Situated in uttari Road Kaggalipura Post Kanakpura Road Banglore South Bengalura Urban Karnataka.**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested